

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (II) विविध-31/2025/

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अहमद महमूद,
अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय।

विषय – अंशकालीन पीएच०डी० में नामांकन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना से अंशकालीन पीएच०डी० (सत्र-2024-25) में नामांकन लिये जाने के लिए सूची में अंकित सहायक प्राध्यापकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	सहायक प्राध्यापक का नाम	पदनाम/संकाय	पदस्थापित संस्थान का नाम
1	2	3	4
1.	श्री दीपक कुमार चौधरी	सहायक प्राध्यापक (CSE)	मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर।
2.	श्री जितेन्द्र कुमार	सहायक प्राध्यापक (CSE)	लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा।
3.	श्री संजय कुमार सहनी	सहायक प्राध्यापक (CSE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी।
4.	श्री रंजन कुमार	सहायक प्राध्यापक (CSE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल।
5.	श्री मनहर कुमार साह	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर।
6.	श्री हृषिकेश	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया।
7.	श्री मनोज कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया।
8.	श्री आशीष कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया।
9.	श्री विजय कुमार	सहायक प्राध्यापक (आई० टी०)	मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर।
10.	श्री रंजीत कुमार	सहायक प्राध्यापक (EEE)	मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी।
11.	श्री आनंद राज	सहायक प्राध्यापक (विद्युत)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर।
12.	श्री रंजीत कुमार चौधरी	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया।
13.	श्री रजनीश कुमार	सहायक प्राध्यापक (CSE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमुर।
14.	श्री सुमित कुमार	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	पूर्णियाँ अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णियाँ।
15.	मो० साकिब अख्तर	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	पूर्णियाँ अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णियाँ।

क्र०सं०	सहायक प्राध्यापक का नाम	पदनाम/संकाय	पदस्थापित संस्थान का नाम
1	2	3	4
16.	मो० नादिर	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया।
17.	श्री अविरल कुमार	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया।
18.	श्री रितेश कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर।
19.	श्री संतोष कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर।
20.	श्री अभिषेक कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर।
21.	श्रीमती जिज्ञासा कुमारी	सहायक प्राध्यापक (विद्युत)	एस० आई० टी०, सीतामढ़ी।
22.	श्री राजीव रंजन	सहायक प्राध्यापक (CSE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज।
23.	श्री अभिषेक कुमार रवि	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज।
24.	श्री विकास चन्द्र दिनकर	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज।
25.	श्री कुमार गौरव	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बाँका।
26.	श्री रवि कुमार	सहायक प्राध्यापक (CSE)	मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी।
27.	श्री साकेत कुमार	सहायक प्राध्यापक (ECE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण।
28.	श्री आलोक कुमार	सहायक प्राध्यापक (ECE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण।
29.	श्री निशांत कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण।
30.	श्री अनुराग कुमार	सहायक प्राध्यापक (CSE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण।
31.	श्री सुशील कुमार	सहायक प्राध्यापक (CSE)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण।
32.	श्री अभिषेक कुमार	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण।
33.	श्री सुजीत कुमार	सहायक प्राध्यापक (असैनिक)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण।
34.	श्री पंकज कुमार	सहायक प्राध्यापक (यांत्रिकी)	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण।

- (i.) अंशकालीन पीएच०डी० के कार्यों का निष्पादन संस्थानीय अवकाश के दिनों में ही करेंगे। अवकाश के दिनों में भी इन शिक्षकों की आवश्यकता संस्थान में होती है तो इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। प्राचार्य इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राचार्य द्वारा की जायेगी।
- (ii.) संबंधित शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे पठन-पाठन का कार्य एवं अन्य आवंटित दायित्व बाधित नहीं होना चाहिए।
- (iii.) सरकार द्वारा इस हेतु किसी प्रकार के वित्तीय भार का वहन नहीं किया जायेगा।
- (iv.) अवकाश अवधि का यह तात्पर्य नहीं है कि रविवार को संस्थानीय अवकाश मानते हुए शनिवार और सोमवार को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहेंगे।

- (v.) अंशकालीन पीएच०डी० पूरा करने के उपरांत 05 (पाँच) वर्ष तक विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बीच में सेवा छोड़ने पर 20 (बीस) लाख रुपये सरकारी कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (vi.) अंशकालीन पीएच० डी० करने की अवधि में विशेष परिस्थिति को छोड़ कर अन्य अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश का उपभोग नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/—

(अहमद महमूद)

अपर सचिव—सह—निदेशक।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (II) विविध—31/2025/ 112 /पटना, दिनांक— 07/01/2026

प्रतिलिपि— संबंधित सभी सहायक प्राध्यापक/आई०टी० मैनेजर (ईमेल/अपलोड हेतु) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/01/26

अपर सचिव—सह—निदेशक।